राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 485/2025

विजेन्द्र कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. अधीक्षक अभियंता, (प्रशासनिक), जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. श्री नीर चंद बैरवा, कनिष्ठ अभियंता, वर्तमान में अपीलार्थी जल संसाधन उप संभाग बांदीकुई, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 31.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : **श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता**
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **सुश्री राधिका महरवाल, केवियटर**

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार कि अपीलार्थी जल संसाधन, उप संभाग बांदीकुई जिला दौसा में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 14.1.2025 को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत अपीलार्थी को जल संसाधन बांदीकुई जिला दौसा से जल संसाधन उप संभाग लखूवाली जिला हनुमानगढ़ में स्थानांतरित किया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 को जल संसाधन, उप संभाग आर.डी.–195 अनूपगढ़ से अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। (अनुलग्नक–1) स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.2.2024 के तहत अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जल संसाधन, आर.डब्लू.एस.आर.पी. उप संभाग दौसा से दिलीप मीना के स्थान पर जल संसाधन, आर.डब्लू.एस.आर.पी. उप संभाग बांदीकुई में स्थानांतरित किया गया है तथा उपर्युक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.2.2024 के अनुसरण में अपीलार्थी को बांदीकुई जिला दौसा में दिनांक 11.3.2024 को

कार्यभार ग्रहण कराया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी की बेटी की जन्म तिथि 19.7.2023 है और उसकी आयु लगभग एक वर्ष या छह महीने है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी दिनांक 11.3.2024 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत है तथा दिनांक 14.1.2025 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश के तहत मात्र 10 माह के भीतर ही अपीलार्थी का दौसा से जिला हनुमानगढ़ में स्थानांतरण कर दिया गया है। दिनांक 14.1.2025 का आरोपित स्थानांतरण आदेश केवल प्रत्यर्थी संख्या 03 को समायोजित करने के लिए पारित किया गया है और कानून के प्रावधान के अनुसार, यदि स्थानांतरण आदेश किसी व्यक्ति को समायोजित करने के लिए पारित किया गया है, तो इस प्रकार का आरोपित स्थानांतरण आदेश कानून के तहत अनुमेय नहीं हो सकता है, इसलिए इन तथ्यों और परिस्थितियों में, दिनांक 14.1.2025 का आरोपित स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से अवैध है। जिला दौसा में कनिष्ठ अभियंता के कई पद रिक्त हैं, बावजूद इसके कि इस स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.1.2025 के तहत अपीलार्थी को स्थानांतरित कर दिया गया है। दौसा से जिला हनुमानगढ़ वर्तमान नियुक्ति स्थान से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। अपीलार्थी को 10 महीने के भीतर स्थानांतरित कर दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी के संबंध जारी आलौच्य आदेश दिनांक 14.1.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी सभी परिणामी लाभों के साथ जल संसाधन, उप–मंडल बांदीकुई जिला दौसा में कनिष्ठ अभियंता के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी

को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य